कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, सोनभद्र वन प्रभाग सोनभद्र।

पत्रांक– 1478/सोनभद्र/33 ,दिनांक, रावर्ट्सगंज, दिसम्बर 29 , 2021

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक
मीरजापुर क्षेत्र
मीरजापुर।

विषय– विषय– उत्तर प्रदेश पावर का0लि0 वाराणसी द्वारा 400 के0वी0 अनपरा–वाराणसी डबल सर्किट ट्रांसमीशन लाइन के निर्माण में प्रभावित सोनभद्र वन प्रभाग में 15.79हे0 आरक्षित के बिना वृक्ष पातन के लीज नवीनीकरण की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ– कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग उ0प्र0 लखनऊ का पत्रांक– 1073/11–सी–एफ.पी./यू.पी./ट्रांस32650/ 2018 दिनांक 28.09.2021एवं आपका पत्रांक–1536/मी0/33/दिनांक–29.09.2021।

महोदय,

उपरोक्त बिषयक सन्दर्भित मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग उ0प्र0 लखनऊ के पत्र दिनांक–28.06.2021 द्वारा विषयगत नवीनीकरण प्रस्ताव के सम्बन्ध में प्रभागवार आपत्तियों को इंगित करते हुये उसके निराकरण किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। उक्त इंगित की गयी कमियों में सोनभद्र वन प्रभाग से सम्बन्धित कमियों का निराकरण कराते हुये आख्या निम्नानुसार संस्तुति सहित अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

क्रमांक	आपत्ति/कमियां	प्रभाग की अनुपालन आख्या
1	प्रस्ताव में प्रयोक्ता एजेन्सी वन संरक्षण अधिनियम 1980 के फलस्वरूप दण्डात्मक एन0पी0वी0 की गणना संलग्न है, किन्तु प्रभागीय वनाधिकारी की स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट, हार्ड कापी भाग–2(हिन्दी वर्जन) के क्रमांक–6 तथा आनलाइन भाग–2 के क्रमांक–12 में उल्लंघन न किये जाने का उल्लेख है, जो कि परस्पर विरोधाभास है। अतः स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट हार्डकापी भाग–2 तथा आनलाइन भाग–2 में उल्लंघन की सही रिपोर्ट का उल्लेख करते हुये सम्बन्धित अभिलेख प्रस्ताव में संलग्न करें तथा आनलाइन भाग–2 से पूर्व का त्रुटिपूर्ण स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट तथा हार्डकापी भाग–2 डिलीट कर अपलोड करें।	इस बिन्दु में अंकित आपत्तियों के निराकरण हेतु मुख्य वन संरक्षक,मीरजापुर क्षेत्र मीरजापुर की अध्यक्षता में दिनांक–06.10.2021 को एक बैठक का आयोजन किया गया था। आयोजित बैठक में यह निर्णय लिया गया कि "चूंकि भारत सरकार के पत्र संख्या–8–197/9–एफ. सी.दिनांक–01.11.1993 द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत दी गयी अनुमति में कोई समय सीमा वर्णित नहीं थी, ऐसे में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भूमि का प्रयोग वर्ष 2014 के उपरान्त किये जाने से वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन होना प्रतीत नहीं हो रहा, तथा दण्डात्मक एन0पी0वी0 की आवश्यकता प्रतीत नही होती है।" बैठक में लिये गये निर्णय से सम्बन्धित पत्र संख्या–1824/मी0क्षे/33 दिनांक–11.10.2021 की छायाप्रति संलग्न है। अतः आनलाइन भाग–2 एवं स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट में संशोधन की आवश्यकता नहीं है।
2	आनलाइन भाग–2 के Additional Information Detail में पूर्व का अपलोड किया गया त्रुटिपूर्ण लागत लाभ विश्लेषण प्रमाण पत्र डिलिट नहीं किया गया है।	आनलाइन भाग–2 के Additional Information Detail में पूर्व का अपलोड किया गया त्रुटिपूर्ण लागत लाभ विश्लेषण डिलिट कर दिया गया है तथा संशोधित लागत लाभ विश्लेषण अपलोड कर दिया गया है।
3	उल्लंघन के फलस्वरूप जमा की जाने वाली दण्डात्मक एन0पी0वी0 की वचनबद्धता पुनः प्रस्ताव में संलग्न नहीं की गयी है, इसके स्थान पर प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा दण्डात्मक एन0पी0वी0 न लगाने का अनुरोध किया गया है, जो कि औचित्यपूर्ण नहीं है। अतः इसे प्रस्ताव एवं आनलाइन भाग–2 से	इस बिन्दु में अंकित आपत्तियों के निराकरण हेतु मुख्य वन संरक्षक,मीरजापुर क्षेत्र मीरजापुर की अध्यक्षता में दिनांक–06.10.2021 को एक बैठक का आयोजन किया गया था। आयोजित बैठक में यह निर्णय लिया गया कि "चूंकि भारत सरकार के पत्र संख्या–8–197/9–एफ. सी.दिनांक–01.11.1993 द्वारा वन संरक्षण अधिनियम

	पृथक/डिलीट कर उल्लंघन के फलस्वरूप जमा की जाने वाली दण्डात्मक एन0पी0वी0 की वचनबद्धता प्रमाण पत्र, जो प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित हो प्रस्ताव में संलग्न कर आनलाइन भाग 2 में यथास्थान पर अपलोड करें।	1980 के अन्तर्गत दी गयी अनुमति में कोई समय सीमा वर्णित नहीं थी, ऐसे में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भूमि का प्रयोग वर्ष 2014 के उपरान्त किये जाने से वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन होना प्रतीत नहीं हो रहा, तथा दण्डात्मक एन0पी0वी0 की आवश्यकता प्रतीत नही होती है।" बैठक में लिये गये निर्णय से सम्बन्धित पत्र संख्या–1824/मी0क्षे/33 दिनांक–11.10.2021 की छायाप्रति संलग्न है।

भवदीय

(संजीव कुमार सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी
सोनभद्र वन प्रभाग, सोनभद्र

संख्या– 1478 अ/समदिनांक।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ को सूचनार्थ प्रेषित।

1. प्रभागीय वनाधिकारी ओबरा वन प्रभाग को संलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. अधिशाषी अभियन्ता, विद्युत प्रेषण खण्ड गाजीपुर 220 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र तलबल हाइडिल कालोनी गाजीपुर उ0प्र0को उनके पत्र संख्या–2013 दिनांक–25.11.2021 के क्रम में सूचनार्थ एवं इस आशय से प्रेषित की उक्त अभिलेखों को अपने सहायक अभियन्ता या अवर अभियन्ता के माध्यम से प्राप्त कराते हुये प्रभागीय वनाधिकारी ओबरा वन प्रभाग के कार्यालय में समेकित प्रस्ताव में संलग्न कराने का कष्ट करें।

(संजीव कुमार सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी
सोनभद्र वन प्रभाग, सोनभद्र

400के0वी0अनपरा वाराणसी डबल सर्किट ट्रांसमिशन लाईन में में प्रभावित होने वाले कुल 319.28हे0 (रेनुकूट वन प्रभाग 98.28हे0, ओबरा वन प्रभाग 113.048हे0, सोनभद्र वन प्रभाग 15.79हे0, मीरजापुर वन प्रभाग 37.51हे0 तथा कैमूर वन्य जीव प्रभाग 54.652हे0) वन भूमि के लीज नवीनीकरण प्रस्ताव के सम्बन्ध में दिनांक–06.10.2021 को आयोजित बैठक का कार्यवृत्तः–

बैठक में प्रभागीय वनाधिकारी ओबरा, प्रभागीय वनाधिकारी सोनभद्र, प्रभागीय वनाधिकारी रेनुकूट व प्रभागीय वनाधिकारी मीरजापुर उपस्थित रहे। अधिशासी अभियन्ता, विद्युत प्रेषण खण्ड, गाजीपुर के पत्र संख्या–165/वि0प्रे0खं0–गा0/ दिनांक–01.02.2021 में उल्लिखित बिन्दु (जिसमें लीज नवीनीकरण के प्रस्ताव में दण्डात्मक एन0पी0वी0 न लगाये जाने का अनुरोध किया गया है।) पर प्रभागीय वनाधिकारियों से विचार–विमर्श के दौरान प्रकाश में आये तथ्य निम्नानुसार हैः–

1. भारत सरकार के पत्र संख्या–8–197/91–एफ0सी0 दिनांक–01.11.1993 (जिससे पूर्व में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत गैर वानिकी कार्य की अनुमति दी गयी थी) में कोई समय सीमा वर्णित नहीं है।
2. भारत सरकार के पत्र संख्या–8–197/91–एफ0सी0 दिनांक–01.11.1993 (जिससे पूर्व में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत गैर वानिकी कार्य की अनुमति दी गयी थी) के कम में उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या–जी0आई0 444/14–2–93–707/89 दिनांक–23.02.1994 द्वारा 400 के0वी0 अनपरा वाराणसी डबल सर्किट ट्रांसमिशन लाईन निर्माण हेतु 319.28हे0 क्षेत्र को 20 वर्ष हेतु लीज पर दिया गया था। जिसकी लीज अवधि दिनांक–22.02.2014 को समाप्त हो चुकी है।
3. लीज समाप्त होने के उपरान्त लीज नवीनीकरण का प्रस्ताव प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रेषित किया गया है। राजस्व क्षति को दृष्टिगत सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारियों द्वारा लीज समाप्ति की तिथि दिनांक–22.02.2014 को जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित नये सर्किल दर के अनुसार लीज रेंट का निर्धारण कर प्रयोक्ता ऐजेन्सी से लीज रेंट का भुगतान करनें का अनुरोध किया गया। जिसके कम में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा लीज रेंट का भुगतान लगातार किया जा रहा है।

उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत प्रश्नगत प्रकरण में निम्नलिखित गत स्थिर किया गयाः–

युकि भारत सरकार के पत्र संख्या–8–197/91–एफ0सी0 दिनांक–01.11.1993 द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत दी गयी अनुमति में कोई समय सीमा वर्णित नहीं थी, ऐसे में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भूमि का प्रयोग वर्ष 2014 के उपरान्त किये जाने से वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन होना प्रतीत नहीं होता है तथा दण्डात्मक एन0पी0वी0 की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

बैठक सधन्यवाद समाप्त हुयी।

(रमेश चन्द्र आ)
मुख्य वन संरक्षक,
मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर।

पत्रांकःसा0– 1825 /मी0क्षे0/33 दिनांक, मीरजापुर, दिनांक, अक्टूबर 11, 2021

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1 प्रभागीय वनाधिकारी, ओबरा, सोनभद्र, रेनुकूट, मीरजापुर एवं कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मीरजापुर।

(रमेश चन्द्र आ)
मुख्य वन संरक्षक,
मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर।